रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2013/ज्येष्ठ 31, 1935
No. 172] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2013/JYAISTHA 31, 1935

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2013**

संख्या भाराराप्रा/11011/17/2012-एच.आर.-I (खण्ड XV) .— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति ) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :— (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2013 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"4 पदों का वर्गीकरण— प्राधिकरण में सभी पदों का वर्गीकरण समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 में यथा प्रावधानित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन जारी किए गए अनुदेशानुसार किया जाएगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (3) में, विद्यमान परन्तुक के नीचे, निम्नलिखित प्रावधानों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु आगे शर्त यह है कि उप-विनियम (3) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड.) के अधीन गठित प्रत्येक चयन समिति में यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य नहीं हो तो अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा:

शर्त यह भी है कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त रैंक के अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, नियोक्ता प्राधिकारी अन्य सरकारी विभागों से ऐसे वर्गों के किसी उपयुक्त रैंक के अधिकारी को सहयोजित कर सकेगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के नीचे, निम्नलिखित प्रावधानों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"आगे शर्त यह है कि समूह-ख, समूह-ग और समूह-घ के पदों के लिए उप-विनियम (4) के अधीन गठित प्रत्येक चयन समिति में यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य नहीं हो तो अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और समूह-ग तथा समूह-घ के पदों के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति में यदि कोई महिला चयन समिति की सदस्य नहीं हो तो उपयुक्त रैंक की एक महिला अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा:

शर्त यह भी है कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय तथा किसी महिला अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, नियोक्ता प्राधिकारी अन्य सरकारी विभागों से ऐसे वर्गों के किसी उपयुक्त रैंक के अधिकारी को सहयोजित कर सकेगा।"

5. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) में खण्ड (क), (ख) और (ग) के लिए, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(क) प्राधिकरण की वेबसाइट पर एक विस्तृत विज्ञापन दिया जाएगा; और

(ख) एक हिन्दी, एक अंग्रेजी के दैनिक समाचार-पत्र तथा रोजगार समाचार में एक संसूचक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ग) और (घ) में, अन्तिम शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर "नियोक्ता प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

7. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) आवेदकों/सरकार से आवेदन अथवा नामांकन के प्राप्त होने पर, जिसमें पात्र अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं, की छानबीन नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली छानबीन समिति के

माध्यम से करवाई जाएगी, जिसमें तीन अधिकारी होंगे (जिनमें से एक अधिकारी उस स्तर से एक ऊँचे स्तर का होगा जिस स्तर के पद को विज्ञापित किया गया है, दूसरा अधिकारी मानव संसाधन/प्रशासन प्रभाग से तथा एक और अधिकारी होगा)। छानबीन समिति विनियमों में पद के लिए निर्धारित पात्रता के मानदंडों के संबंध में आवेदनों की छानबीन करेगी और अन्तिम चयन के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों अथवा चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, चयन समिति के विचारार्थ पात्र उम्मीदवारों की संस्तुति करेगी । "

नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन–III/4/असा./122/13]

द टिप्पणी: मूल विनियमावली अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/ 17/2012-एचआर-I (खण्ड XI), तारीख 14 फरवरी, 2013 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड 4, तारीख 15 फरवरी, 2013 में प्रकाशित किया गया था ।

<u>स्पष्टीकरण ज्ञापन</u>

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्राख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2013

**: National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment ulations, 2013**

**No. NHAI/11011/17/2012-HR.I (Vol.XV).** – In exercise of the powers conferred by section 35, read with ion 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of a hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, iority and Promotion) Regulations, 1996, namely:—

1. **Short title and commencement:**—(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 4 of the principal National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), the following regulation shall be substituted namely:—

"4. Classification of posts – All posts in the Authority shall be classified as provided under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time and as per the instructions issued thereunder by the Central Government."

3. In sub-regulation (3) of regulation 11 of the principal regulations, below the existing proviso, the following provisions shall be inserted, namely:—

Provided also that in case of non-availability of an officer of appropriate rank belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Minority Community in the Authority, the Appointing Authority may co-opt an officer of an appropriate rank belonging to such categories from other Government Departments."

4. In sub-regulation (4) of regulation 11 of the principal regulations, below the existing proviso, the following provisions shall be inserted, namely:—

"Provided further that in each Selection Committee constituted under sub-regulation (4) for Group-B, Group-C and Group-D posts, an officer of appropriate rank belonging to minority community shall be inducted as Member, in case no member of the Selection Committee belong to minority community and in each Selection Committee constituted for Group-C and Group-D posts, one lady officer of an appropriate rank shall also be inducted as Member, in case no member of the Selection Committee is a lady.

Provided also that in case of non-availability of an officer of appropriate rank belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Minority Community and a lady officer in the Authority, the Appointing Authority may co-opt an officer of an appropriate rank belonging to such categories from other Government Departments."

5. In sub-regulation (1) of regulation 12 of the principal regulations, for clauses (a), (b) and (c), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(a) A detailed advertisement shall be hosted on the website of the Authority; and

(b) An indicative advertisement shall be published in one Hindi, one English daily newspaper and the Employment News."

6. In clauses (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 11 of the principal regulations, the last word "Chairman" shall be substituted by the words "Appointing Authority."

7. In regulation 12 of the principal regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) On receipt of application or nomination from applicants/Government, including applications from eligible officers and employees, as the case may be, the same shall be got screened through the Screening Committee to be constituted by the Appointing Authority, which shall comprise of three officers (one officer who shall be at least one level above the level of the post advertised, second from HR/Administration Division and one more officer). The Screening Committee shall screen the applications with respect to the eligibility criteria prescribed for the post in the Regulations and recommend the eligible candidates for consideration of the Selection Committee for final selection on the basis of written test or interview or both or as decided by the Selection Committee."

NARENDER KUMAR, Member (Administration)

[ADVT-III/4/Exty./122/13]

**Foot note:** The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.XI), dated 14th February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 15th February, 2013.

**Explanatory Memorandum**

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.